फर्द अहकाम

ायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

ख्या :–   /20

बाबू **बनाम** काली

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता लोकेश शर्मा हाजिर। अप्रार्थी 1, 2 स्वंय हाजिर। अप्रार्थी संख्या 11, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 16/1 लगायत 16/5 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार गौतम हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10, 13, 14, 15, 17 लगायत 39 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नही, अतः अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 10, 13, 14, 15, 17 लगायत 39 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। जवाब अप्रार्थी संख्या 1, 2, 11, 12, 16/1 लगायत 16/5 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त हम पाते है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नही हुआ है। अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाऐ रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	